

बजट 2010-2011 के बजट-पत्रों का संक्षिप्त परिचय

1. संसद में प्रस्तुत किए जाने वाले बजट दस्तावेजों में, वित्त मंत्री के बजट भाषण के अलावा, निम्नलिखित शामिल हैं:

- (क) वार्षिक वित्तीय विवरण
- (ख) अनुदान-मांगें
- (ग) विनियोग विधेयक
- (घ) वित्त विधेयक
- (ङ) वित्त विधेयक, 2010 में किए गए उपबंधों का व्याख्यात्मक ज्ञापन
- (च) सम्बद्ध वित्त वर्ष के लिए वृहत-आर्थिक रूपरेखा विवरण
- (छ) वित्त वर्ष के लिए राजकोषीय नीतिगत कार्य योजना विवरण
- (ज) मध्यावधि राजकोषीय नीतिगत विवरण
- (झ) व्यय बजट खण्ड -1
- (ञ) व्यय बजट खण्ड -2
- (ट) प्राप्ति बजट
- (ठ) बजट एक नजर में
- (ड) बजट की मुख्य बातें
- (ढ) वित्त मंत्री के पिछले वित्त वर्ष बजट भाषण में की गयी घोषणाओं का कार्यान्वयन विवरण

क्रम सं. क, ख, ग और घ के समक्ष उल्लिखित दस्तावेज क्रमशः भारत के संविधान के अनुच्छेद 112, 113, 114(3) और 110(क) द्वारा अधिदेशित हैं, जबकि क्रम सं. च, छ तथा ज के समक्ष दर्शित दस्तावेज राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्ध अधिनियम, 2003 के उपबंधों के अनुसार प्रस्तुत किए जाते हैं। अन्य दस्तावेज व्याख्यात्मक विवरणों के स्वरूप के हैं जो व्याख्यात्मक सहित अधिदेशित दस्तावेजों के सहायक हैं अथवा अन्य अन्तर्वस्तु त्वरित अथवा प्रासंगिक सन्दर्भों हेतु प्रयोक्ता अनुकूल फार्मेट के रूप में है। इन सभी दस्तावेजों का हिन्दी पाठ भी संसद में प्रस्तुत किया जाता है। हाईपरलिंक सहित वैब पाठ <http://indiabudget.nic.in/ub2010-11/ubmain.htm> पर उपलब्ध है ताकि सर्फिंग को अधिक प्रभावी बनाया जा सके।

2. उपर्युक्त के अलावा, प्रत्येक विभाग/मंत्रालय अपनी विस्तृत अनुदान-मांगें, निष्पादन तथा परिणाम बजट और वार्षिक रिपोर्ट भी तैयार करके संसद में प्रस्तुत करते हैं। आर्थिक समीक्षा देश की आर्थिक प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालती है और इससे बजट में संसाधन जुटाने और उनके आबंटन का बेहतर मूल्यांकन करने में सुविधा होती है। यह समीक्षा आर्थिक प्रभाग, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार की जाती है। आर्थिक समीक्षा, सामान्यतः केन्द्र सरकार के बजट से पहले, संसद में प्रस्तुत की जाती है। इन दस्तावेजों का वैब पाठ सामान्यतः सम्बद्ध मंत्रालयों/विभागों द्वारा अपनी वैबसाइट में डाला जाता है।

3.1 पैरा 1 में सूचीबद्ध बजट दस्तावेजों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:

3.(क) **वार्षिक वित्तीय विवरण (एएफएस)** एक महत्वपूर्ण बजट दस्तावेज है जिसमें वर्ष 2009-10 के अनुमानों तथा साथ ही वर्ष 2008-09 के व्यय के सम्बन्ध में वर्ष 2010-11 के लिए भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियों तथा खर्चों को दिखाया जाता है। प्राप्तियों तथा खर्चों को तीन भागों में दिखाया जाता है जिसमें सरकार के लेखाओं को रखा जाता है अर्थात् (i) संचित निधि, (ii) आकस्मिकता निधि, और (iii) लोक लेखा। संविधान के अन्तर्गत, वार्षिक वित्तीय विवरण में राजस्व लेखे पर व्यय को अन्य व्यय से पृथक रखा जाता

है। इसलिए सरकार के बजट में राजस्व बजट तथा पूंजी बजट शामिल है। वार्षिक वित्तीय विवरण में शामिल व्यय के अनुमान निवल व्यय के सम्बन्ध में हैं अर्थात् वसूलियों को हिसाब में लेने के बाद इन्हें लेखाओं में प्रदर्शित किया जाएगा।

संचित निधि, आकस्मिकता निधि तथा लोक-खाते का महत्त्व तथा राजस्व और पूंजी बजट की महत्वपूर्ण विशेषताएं संक्षेप में इस प्रकार हैं:

- (i) भारत की संचित निधि (सीएफआई) की विद्यमानता संविधान के अनुच्छेद 266 से उद्भूत है। सरकार को प्राप्त होने वाले सभी राजस्व, सरकार द्वारा लिए जाने वाले ऋण और उसके द्वारा दिए गए ऋणों की वसूलियों से प्राप्त धनराशियां "संचित निधि" का रूप लेती हैं। सरकार का पूरा खर्च भारत की संचित निधि से किया जाता है और संसद की स्वीकृति के बिना, इस निधि में से कोई भी रकम नहीं निकाली जा सकती।
- (ii) संविधान का अनुच्छेद 267 आकस्मिकता निधि का अधिकार प्रदान करता है। यह निधि अग्रदाय के रूप में राष्ट्रपति के नियंत्रण में रहती है और इससे सरकार को किसी भी अप्रत्याशित व्यय को, संसद की स्वीकृति मिलने तक, पूरा करने में सहूलियत होती है। ऐसे अप्रत्याशित व्यय के लिए संसद की कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त कर ली जाती है और जितनी राशि आकस्मिकता निधि से निकाली जाती है, उतनी राशि संचित निधि से आहरित करके आकस्मिकता निधि की भरपाई कर दी जाती है। संसद द्वारा यथा-प्रस्तावित आकस्मिकता निधि की कुल राशि, इस समय, 500 करोड़ रुपए है।
- (iii) सरकार द्वारा धनराशियों को ट्रस्ट में रखा जाता है जैसाकि भविष्य निधियों; लघु बचत संग्रहणों, सड़क विकास, प्राथमिक शिक्षा जैसे विशिष्ट उद्देश्यों पर किए गए व्यय को छोड़कर, सरकार की आय; प्रारक्षित/विशेष निधियों आदि को लोक खाते में रखा जाता है। लोक लेखा निधियां सरकार से सम्बन्धित नहीं हैं और अन्तिम रूप से इस निधि में जमा करने वाले व्यक्तियों तथा प्राधिकारियों को वापस इनका भुगतान करना पड़ता है। इसलिए संसद की स्वीकृति ऐसे भुगतानों के लिए अपेक्षित नहीं होती है, सिवाय उन मामलों में जहां संसद के अनुमोदन से संचित निधि से राशि आहरित की जाती है और विशिष्ट उद्देश्यों पर व्यय के लिए इसे लोक खाते में रखा जाता है तथा ऐसे मामले में विशेष उद्देश्य पर वास्तविक व्यय को संसद की स्वीकृति हेतु पुनः प्रस्तुत किया जाता है, जो विशिष्ट उद्देश्य पर व्यय की पूर्ति हेतु लोक खाते से आहरण के लिए होता है।
- (iv) राजस्व बजट में सरकार की राजस्व (कर-राजस्व और अन्य राजस्व) प्राप्तियां तथा इन राजस्वों से किया जाने वाला व्यय शामिल होता है। कर-राजस्व में संघ द्वारा लगाए गए करों और अन्य शुल्कों से प्राप्त होने वाली प्राप्तियां शामिल होती हैं। वार्षिक वित्तीय विवरण में दर्शाए गए राजस्व प्राप्तियों के अनुमानों में वित्त विधेयक में किए गए कराधान संबंधी प्रस्तावों का प्रभाव शामिल होता है। सरकार की अन्य प्राप्तियों में मुख्यतः उसके द्वारा निवेशित पूंजी पर ब्याज और लाभांश, शुल्क तथा सरकार द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए अन्य प्राप्तियां शामिल होती हैं। राजस्व व्यय सरकारी विभागों और विभिन्न सेवाओं के सामान्य संचालन, सरकार द्वारा लिए गए ऋण से ब्याज प्रभारों, आर्थिक सहायता आदि पर होता है। मोटे तौर पर, ऐसा व्यय जिससे किसी परिसम्पत्ति का सृजन नहीं होता, राजस्व व्यय माना जाता है। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों और अन्य पार्टियों को दिए गए सभी अनुदान भी राजस्व व्यय माने जाते हैं, तथापि, उनमें से कुछ अनुदानों का प्रयोग परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए किया जा सकता है।
- (v) पूंजी बजट में पूंजीगत प्राप्तियां और पूंजीगत भुगतान शामिल होते हैं। पूंजीगत प्राप्तियों की मुख्य मदें ये हैं:- सरकार द्वारा जनता से लिए गए ऋण जिन्हें बाजार ऋण कहा जाता है, राजकोषीय ङुडियों की बिक्री के जरिए सरकार द्वारा रिजर्व बैंक और अन्य पक्षों से लिए जाने वाले ऋण, विदेशी सरकारों और संस्थाओं से प्राप्त ऋण और केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों और अन्य पक्षों को दिए गए ऋणों की वसूलियां। पूंजीगत भुगतान में ये मदें शामिल होती हैं:- जमीन, इमारतों, मशीनों, उपकरणों जैसी परिसम्पत्तियों के अधिग्रहण पर किया जाने वाला पूंजी व्यय और शेरों आदि में लगाई जाने वाली पूंजी तथा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों, सरकारी कम्पनियों, निगमों और अन्य पार्टियों आदि को केन्द्रीय सरकार द्वारा दिए जाने वाले ऋण और अग्रिम। पूंजी बजट में लोक खाते के लेन-देन भी शामिल होते हैं।
- (vi) लेखाओं का वर्गीकरण
 - संविधान के अनुच्छेद 150 के अन्तर्गत विहित लेखा वर्गीकरण की प्रणाली के अनुसार, वार्षिक वित्तीय विवरण में प्राप्तियों और खर्चों तथा अनुदान-मांगों में व्यय के अनुमान दिखाए जाते हैं। इससे संसद और जनता संसाधनों के आवंटन और सरकार के व्यय के उद्देश्यों का सार्थक विश्लेषण कर पाते हैं।

- वार्षिक वित्तीय विवरण में भारत की संचित निधि पर भारित कतिपय खर्चों को अलग से दिखाया जाता है, जहां संविधान व्यय की विभिन्न मदों जैसे राष्ट्रपति की परिलब्धियां, राज्य सभा के सभापति और उप सभापति तथा लोक सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और केन्द्रीय सतर्कता आयोग के वेतन, भत्ते और पेंशन, सरकार द्वारा लिए गए ऋणों पर ब्याज और उनकी अदायगियों और अदालती डिक्रीयों के सम्बन्ध में की गई अदायगियों की अनुमति देता है। व्यय की ये मदें भारत की संचित निधि पर भारित हैं और इन्हें लोकसभा की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती है।

3.(ख) अनुदान-मांगें

- (i) संविधान की धारा 113 में अधिदेशित है कि वार्षिक वित्तीय विवरण में सम्मिलित भारत की संचित निधि से किए जाने वाले तथा लोक सभा की स्वीकृति के लिए अपेक्षित व्यय के अनुमानों को अनुदानों-मांगों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। अनुदान-मांगें वार्षिक वित्तीय विवरण के साथ लोक सभा में प्रस्तुत की जाती हैं। साधारणतः प्रत्येक मंत्रालय/विभाग के संबंध में अनुदान की एक मांग प्रस्तुत की जाती है। तथापि, बड़े मंत्रालयों या विभागों की एक से अधिक मांगें प्रस्तुत की जाती हैं। विधानमंडल रहित संघ राज्य क्षेत्रों के सम्बन्ध में प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक अलग मांग प्रस्तुत की जाती है। बजट 2010-11 में 105 अनुदान-मांगें हैं। प्रत्येक मांग में पहले स्वीकृत और भारित व्यय तथा साथ ही मांग में सम्मिलित राजस्व और पूंजी व्यय के अलग-अलग जोड़ दिखाए जाते हैं तथा इसके अलावा, जिस खर्च के लिए मांग प्रस्तुत की जाती है उसका कुल जोड़ भी दिखाया जाता है। इसके बाद विभिन्न मुख्य लेखा शीर्षों के अन्तर्गत व्यय के अनुमान दिए जाते हैं। प्रत्येक मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत व्यय का आयोजना और आयोजना भिन्न, अलग-अलग विवरण भी दिया जाता है। लेखाओं में, व्यय में से घटाई गई वसूलियों की राशियां भी दिखाई जाती हैं। इस दस्तावेज के आरम्भ में अनुदान-मांगों का सारांश दिया जाता है, जबकि इसके अंत में, नई सेवा अथवा नई सेवा के साधनों जैसी नई कम्पनी, उपक्रम अथवा नई योजना आदि का विवरण, यदि कोई हो, दिया जाता है।
- (ii) प्रायः प्रत्येक मांग में किसी सेवा के लिए अपेक्षित कुल प्रावधान शामिल है अर्थात् इसमें राजस्व व्यय, पूंजी व्यय, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को दिए जाने वाले अनुदान और उस सेवा के सम्बन्ध में ऋणों और अग्रिमों के लिए किया गया प्रावधान शामिल होता है। जिन मामलों में किसी सेवा से संबद्ध व्यवस्था पूर्ण रूप से भारत की संचित निधि पर भारित व्यय के लिए होती है, जैसे ब्याज की अदायगियां (अनुदान की मांग सं.34) तो उस व्यय के लिए मांग से बिल्कुल भिन्न एक अलग विनियोग प्रस्तुत किया जाता है और उस पर लोक सभा की स्वीकृति लिए जाने की आवश्यकता नहीं होती। किन्तु किसी ऐसे सेवा व्यय के मामले में, जिसमें 'स्वीकृत' एवं 'भारित' दोनों मदें शामिल हों, उस सेवा के लिए प्रस्तुत की जाने वाली मांग में भारित व्यय भी शामिल कर लिया जाता है लेकिन उस मांग में स्वीकृत और भारित व्यवस्थाएं अलग-अलग दिखाई जाती हैं।

3.(ग) विनियोग विधेयक

लोक सभा द्वारा अनुदान-मांगों के पारित कर दिए जाने के बाद, इस प्रकार पारित राशियों और संचित निधि पर भारित व्यय को पूरा करने के लिए अपेक्षित राशि को संचित निधि से निकालने की संसद की स्वीकृति विनियोग विधेयक के माध्यम से मांगी जाती है। संविधान के अनुच्छेद 114(3) के अन्तर्गत संसद द्वारा ऐसा कानून बनाए बिना, कोई भी राशि संचित निधि से नहीं निकाली जा सकती।

बजट प्रस्तुत करने से लेकर अनुदान मांगों पर बहस एवं मतदान की सम्पूर्ण प्रक्रिया के लिए पर्याप्त समय की आवश्यकता होती है। अतः मांगों के पारित होने की प्रक्रिया पूर्ण होने तक वित्त वर्ष के एक भाग के लिए अनुमानित व्यय के संबंध में अग्रिम स्वीकृति के लिए लोकसभा को संविधान द्वारा शक्ति प्रदान की गई है। "लेखानुदान" का उद्देश्य "अंतिम आपूर्ति" की स्वीकृति होने तक सरकार के क्रियाकलाप को जारी रखना है। विनियोग (लेखानुदान) विधेयक के माध्यम से संसद से लेखानुदान मांगा जाता है।

3.(घ) वित्त विधेयक

संसद के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करते समय, संविधान के अनुच्छेद 110(1)(क) की अपेक्षा को पूरा करने के लिए वित्त विधेयक भी प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें बजट में प्रस्तावित कर लगाने, हटाने, माफ करने, उनके रद्दोबदल अथवा विनियमन का ब्यौरा दिया जाता है। जैसाकि संविधान के अनुच्छेद 110 में परिभाषित है, वित्त विधेयक एक धन विधेयक है। इसके साथ ही इसमें शामिल उपबंधों की व्याख्या करने वाला एक ज्ञापन होता है।

3.(ड) वित्त विधेयक के उपबंधों की व्याख्या करने वाला ज्ञापन

वित्त विधेयक में निहित कराधान संबंधी प्रस्ताव आसानी से समझ में आ जाए, इसके लिए वित्त विधेयक के उपबंधों का व्याख्यात्मक ज्ञापन नामक दस्तावेज में उपबंधों और उनके निहितार्थों की व्याख्या दी जाती है।

3.(च) वृहत्-आर्थिक रूपरेखा विवरण

राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम की धारा 3(5) और इसके तहत बनाए गए नियमों के तहत संसद में प्रस्तुत वृहत्-आर्थिक रूपरेखा विवरण में अंतर्निहित पूर्वानुमानों सहित अर्थव्यवस्था की वृद्धि की संभावनाओं का मूल्यांकन शामिल है। इसमें सकल घरेलू उत्पाद विकास दर, केन्द्र सरकार का राजकोषीय संतुलन और अर्थव्यवस्था के वैदेशिक क्षेत्र संतुलन से संबंधित अनुमान हैं।

3.(छ) राजकोषीय नीतिगत कार्य योजना विवरण

राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम की धारा 3(4) के तहत संसद में प्रस्तुत राजकोषीय नीतिगत कार्ययोजना विवरण में आगामी वित्त वर्ष के लिए राजकोषीय क्षेत्र में कराधान, व्यय, उधार लेने और निवेश करने, प्रशासित मूल्य निर्धारण, उधारों और गारंटियों से संबंधित सरकार की महत्वपूर्ण प्राथमिकताओं की रूपरेखा तैयार की जाती है। इस विवरण में यह बताया जाता है कि मौजूदा नीतियां किस प्रकार राजकोषीय प्रबंधन सिद्धान्तों के अनुरूप हैं तथा महत्वपूर्ण राजकोषीय उपायों में आए किसी बड़े विचलन का औचित्य भी दिया जाता है।

3.(ज) मध्यावधि राजकोषीय नीतिगत विवरण

राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2003 की धारा 3(2) के तहत प्रस्तुत मध्यावधि राजकोषीय नीतिगत विवरण में (सकल घरेलू उत्पाद) के संबंध में बाजार मूल्यों पर चार विशेष राजकोषीय संकेतकों अर्थात् (i) राजस्व घाटा (ii) राजकोषीय घाटा (iii) सघट के संबंध में कर का अनुपात और (iv) वर्ष के अंत में कुल बकाया ऋण के लिए तीन वर्षीय आवर्ती लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। इस विवरण में अंतर्निहित पूर्वानुमानों, राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय के बीच संतुलन से संबंधित निरन्तरता का मूल्यांकन और उत्पादक आस्तियों के सृजन के लिए बाजार उधारों सहित पूंजी प्राप्तियों के उपयोग को शामिल किया जाता है।

3.2 बजट की प्रमुख विशेषताओं को अधिक व्यापक रूप से समझने में आसानी के लिए, कुछ अन्य व्याख्यात्मक दस्तावेज प्रस्तुत किए जाते हैं। इनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:

3.(झ) व्यय बजट खंड-1

- (i) यह दस्तावेज विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के राजस्व तथा पूंजी संवितरणों से संबंधित है तथा प्रत्येक के सम्बन्ध में आयोजना और आयोजना-भिन्न के अन्तर्गत अनुमानों की जानकारी देता है। इसमें विभिन्न प्रकार के व्यय का विश्लेषण और अनुमानों में हुई घट-बढ़ के मुख्य कारण भी किए जाते हैं।
- (ii) वर्तमान लेखा तथा बजट संबंधी विधियों के अन्तर्गत, कतिपय प्रकार की प्राप्तियों, जैसे एक विभाग द्वारा दूसरे विभाग को की गई अदायगी और पूंजी परियोजनाओं या योजनाओं से होने वाली आय को उस विभाग के खर्च में से जिसे यह रकम मिलेगी, को घटा दिया जाता है। जहां अनुदान-मांगों में व्यय के जो अनुमान दिए जाते हैं वे सकल व्यय के अनुमान होते हैं। जबकि वार्षिक वित्तीय विवरण में दिए जाने वाले व्यय के अनुमान, वसूलियों को ध्यान में रखते हुए निवल व्यय के अनुमान होते हैं। व्यय बजट दस्तावेज में कतिपय अन्य शोधन भी किए गए हैं जैसे संबंधित प्राप्तियों का व्यय घटाना ताकि प्राप्तियों और व्यय को बढ़ने से रोका जा सके और विभिन्न व्यय की राशि का बेहतर मूल्यांकन हो सके। अन्तर्राष्ट्रीय निकायों को किए गए अंशदानों और विभिन्न सरकारी विभागों की स्थापना सम्बन्धी अनुमानित संख्या तथा उनके लिए किए गए प्रावधानों को पृथक अनुबंधों में दर्शाया जाता है। इस प्रलेख में (i) मंत्रालयों/विभागों द्वारा, विभिन्न केन्द्रीय और केन्द्र द्वारा प्रायोजित आयोजना स्कीमों के तहत राज्य और जिला स्तर के स्वायत्त निकायों को सीधे जारी किए गए आयोजना अनुदानों तथा ऋणों (ii) जैडर बजटिंग तथा (iii) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विकास सम्बन्धी योजनाओं को दर्शाने वाले अलग-अलग विवरण भी शामिल किए गए हैं।

(iii) आयोजना परिव्यय

केन्द्रीय सरकार के कुल व्यय में आयोजना व्यय का अनुपात काफी अधिक होता है। विभिन्न मंत्रालयों की अनुदान-मांगों में, प्रत्येक शीर्ष के अन्तर्गत आयोजना व्यय को आयोजना-भिन्न व्यय से अलग दिखाया जाता है। व्यय बजट खण्ड-1 में प्रत्येक

मंत्रालय के कुल आयोजना खर्च को विभिन्न विकास शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाता है और आयोजना के अधिक महत्वपूर्ण कार्यक्रमों और योजनाओं के लिए बजट में की गई खर्च की व्यवस्था को स्पष्ट करके दिखाया जाता है। योजना में शामिल किए गए उद्देश्यों, लक्ष्यों तथा उपलब्धियों के साथ-साथ महत्वपूर्ण स्कीमों का विस्तृत विवरण संबंधित मंत्रालय के परिणाम बजट में दिया जाता है। योजना व्यय के अनुमानों में आने वाली/आई भिन्नताओं को भी स्पष्ट किया जाता है।

(iv) सरकारी क्षेत्र के उद्यम

केन्द्रीय सरकार द्वारा किए जाने वाले आयोजना-व्यय का अधिकांश भाग सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के माध्यम से खर्च होता है। सरकार द्वारा इन उद्यमों के परिव्यय की वित्त-व्यवस्था के लिए या तो उनकी शेयर पूंजी में धन लगाकर अथवा उन्हें ऋण देकर बजटीय सहायता दी जाती है। व्यय बजट खंड-1 में सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को 2009-2010 और 2010-11 में आयोजना और आयोजना-भिन्न प्रयोजनों के लिए दी गई पूंजी और दिए गए ऋणों के अनुमानों और इन उद्यमों को अपनी आयोजना के वित्तपोषण के लिए उपलब्ध बजट-बाह्य साधनों का ब्यौरा दिया जाता है। सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के कार्यचालन पर एक ब्यौरेवार रिपोर्ट सरकारी उद्यम विभाग द्वारा अलग से प्रकाशित सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की समीक्षा नामक पुस्तक में दी जाती है। विभिन्न प्रशासनिक मंत्रालयों के अधीन उद्यमों के कार्यचालन की रिपोर्ट विभिन्न मंत्रालयों की वार्षिक रिपोर्टों में भी दी जाती है, जो संसद सदस्यों को अलग से परिचालित की जाती है। प्रत्येक सरकारी कम्पनी की वार्षिक रिपोर्ट और लेखापरीक्षित खाते अलग से संसद के सभा पटल पर रखे जाते हैं। इसके अलावा, विभिन्न सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के कार्यचालन पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट भी संसद के समक्ष रखी जाती है।

(v) वाणिज्यिक विभाग

रेलवे, सरकार द्वारा विभागीय रूप से चलाया जाने वाला प्रमुख वाणिज्यिक उपक्रम है। रेल बजट और रेल व्यय से संबंधित अनुदान-मांगें संसद में अलग से प्रस्तुत की जाती हैं। तथापि, रेलवे की कुल प्राप्तियों और व्यय को भारत सरकार के वार्षिक वित्तीय विवरण में शामिल किया जाता है। वास्तविक कार्य प्रणाली को प्रदर्शित करने और प्राप्तियों अथवा व्यय को न बढ़ाने के लिए, प्राप्ति बजट और व्यय बजट खण्ड-1 और खण्ड-2 में दिखाया गया व्यय, प्राप्तियों को घटाकर दिखाया जाता है। दूर-संचार विभाग की अनुदान-मांगें, केन्द्रीय सरकार की अन्य अनुदान-मांगों के साथ प्रस्तुत की जाती हैं।

(vi) वार्षिक वित्तीय विवरण में दर्शाई गई रक्षा विभाग की प्राप्तियों और व्यय को रक्षा सेवाओं के अनुमानों के प्रलेख में अधिक विस्तृत रूप से बताया जाता है, जो रक्षा मंत्रालय की ब्यौरेवार अनुदानों की मांगों के साथ प्रस्तुत किए जाते हैं।

(vii) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों के अलावा, निकायों को दिए गए अनुदानों के ब्यौरे गैर-सरकारी निकायों को अदा किए गए सहायता अनुदानों के विवरणों में दिए जाते हैं, जो विभिन्न मंत्रालयों के ब्यौरेवार अनुदानों की मांगों के साथ संलग्न होते हैं। वर्ष 2008-2009 में गैर-सरकारी संस्थाओं, संगठनों और व्यक्तियों को स्वीकृत 5 लाख रुपए (आवर्ती) अथवा 10 लाख रुपए (अनावर्ती) से अधिक सहायता अनुदानों का विवरण व्यय बजट खंड-1 के अनुबन्ध 5 में दिया जाता है।

3.(ज) व्यय बजट, खंड-2

किसी स्कीम या कार्यक्रम के लिए की गई व्यवस्थाएं किसी अनुदान मांग के राजस्व और पूंजी भागों में कई मुख्य शीर्षों में हो सकती हैं। व्यय बजट खंड-2 में, किसी स्कीम/कार्यक्रम के लिए किए गए अनुमानों को इकट्ठा किया जाता है और मुख्य शीर्षों द्वारा निवल आधार पर एक स्थान पर दर्शाया जाता है। अनुदान मांगों में विभिन्न स्कीमों, कार्यक्रमों आदि के लिए प्रस्तावित व्यय के अन्तर्निहित उद्देश्यों को समझने के लिए, इस खंड में समुचित व्याख्यात्मक टिप्पणियां शामिल की गई हैं, जिनमें, जहां भी आवश्यक है मौजूदा वर्ष के बजट अनुमानों और संशोधित अनुमानों में अन्तर और आगामी बजट वर्ष की आवश्यकताओं के लिए संक्षिप्त कारण भी दिए जाते हैं।

3.(ट) प्राप्ति बजट

वार्षिक वित्तीय विवरण में सम्मिलित प्राप्तियों के अनुमानों का "प्राप्ति बजट" प्रलेख में पुनः विश्लेषण किया जाता है। इस प्रलेख में कर एवं कर-भिन्न राजस्व प्राप्तियों और पूंजी प्राप्तियों का ब्यौरा होता है और अनुमानों को स्पष्ट करता है। इस प्रलेख में, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन नियम, 2004 के तहत यथा अधिदेशित कर राजस्वों और कर-भिन्न राजस्वों की बकाया राशियों का उल्लेख भी किया जाता है। प्राप्ति बजट में घाटे के संकेतकों सहित प्राप्तियों और व्यय की प्रवृत्तियों, राष्ट्रीय लघु बचत निधि से संबंधित विवरणी (एन.एस.एस.एफ.), परिव्यक्त राजस्व विवरणी, देयता विवरणी, सरकार द्वारा प्रदत्त गारंटियों से सम्बन्धित विवरण, परिसम्पत्ति विवरणी और विदेशी सहायता के ब्यौरे भी शामिल होते हैं।

3.(ठ) बजट एक नजर में

(i) बजट का सार नामक पुस्तक में, कर-राजस्व और अन्य प्राप्तियों के विस्तृत ब्यौरे के साथ-साथ, प्राप्तियों और खर्चों का

संक्षिप्त विवरण दिया जाता है। इस पुस्तक में आयोजना और आयोजना-भिन्न व्यय का विस्तृत विवरण, आयोजना परिव्यय का क्षेत्रवार तथा मंत्रालय/विभागवार आवंटन और केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को अन्तरित किए गए साधनों का ब्यौरा भी दिया जाता है। इस पुस्तक में राजस्व घाटा, मूल सकल घाटा और केन्द्रीय सरकार का सकल राजकोषीय घाटा भी दिखाया जाता है। सरकार की राजस्व प्राप्तियों की तुलना में अधिक राजस्व व्यय सरकार का राजस्व घाटा होता है। सरकार मुख्यतः दिनांकित प्रतिभूतियों अर्थात् बाजार उधारों के माध्यम से उधार लेती है। इसके अतिरिक्त सरकार कई स्कीमों के अधीन भी उधार लेती है, जो पूंजी प्राप्तियों का भाग होता है। एक ओर, राजस्व, पूंजी और अदायगियों को घटाकर ऋणों के द्वारा सरकार के कुल व्यय और दूसरी ओर, सरकार की राजस्व प्राप्तियां और पूंजी प्राप्तियां, जिनका स्वरूप उधार का नहीं होता परन्तु जो अन्तिम रूप से सरकार को प्राप्त होती हैं, के बीच का अन्तर सकल राजकोषीय घाटा होता है। मूल सकल घाटा, सकल ब्याज अदायगियों को घटाकर, सकल राजकोषीय घाटे द्वारा मापा जाता है। बजट पत्रों में "सकल राजकोषीय घाटे" और "सकल मूल घाटे" को क्रमशः "राजकोषीय घाटे" और "मूल घाटे" के संक्षिप्त रूप में निर्दिष्ट किया गया है। यह दस्तावेज तेल एवं खाद सब्सिडियों के बदले में जारी प्रतिभूतियों (बॉन्ड्स) के सम्बन्धित सरकारी देयताओं को भी दर्शाता है।

- (ii) इस दस्तावेज में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को अन्तरित कुल संसाधनों की मात्रा (केन्द्रीय करों, अनुदानों/ऋण) एवं स्वरूप को सूचित करने वाला विवरण भी शामिल होता है। करों, सहायता अनुदानों और ऋणों के रूप में अन्तरित की जाने वाली राशियों का ब्यौरा व्यय बजट खण्ड-1 में दिया जाता है। अधिकांश अनुदान तथा ऋण, वित्त मंत्रालय द्वारा संवितरित किए जाते हैं और "राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अंतरण" नामक मांग में इन्हें शामिल किया जाता है। अनुदान और ऋण अन्य मंत्रालयों/विभागों द्वारा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को जारी किए जाते हैं, उनके लिए उन मंत्रालयों/विभागों की मांगों में व्यवस्था की जाती है।

3.(ड) बजट की मुख्य बातें

यह दस्तावेज, अन्य बातों के साथ-साथ, बजट 2010-11 की मुख्य विशेषताओं के साथ अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की मुख्य उपलब्धियों को स्पष्ट करता है। यह महत्वपूर्ण क्षेत्रों में किए जाने वाले निधियों के आवंटन के बजट प्रस्तावों का भी संक्षिप्त रूप में उल्लेख करता है। इस दस्तावेज में कर प्रस्तावों का सारांश भी दिखाया जाता है।

3.(ढ) अनुदानों की ब्यौरेवार मांगें

बजट प्रस्तुतीकरण के कुछ समय बाद, अनुदानों की ब्यौरेवार मांगें, चर्चा आरम्भ करने से पूर्व, लोक सभा पटल पर रखी जाती हैं। अनुदानों की इन ब्यौरेवार मांगों में, अनुदानों की मांगों में शामिल प्रावधानों के साथ साथ पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान वास्तविक व्यय के ब्यौरे दिए जाते हैं। प्रत्येक कार्यक्रम/संगठन जिनके लिए व्यय की राशि 10 लाख रुपये से कम नहीं है, से संबंधित अनुमानों का ब्यौरा अनेक उद्देश्य शीर्षों के अन्तर्गत दिया जाता है जैसे वेतन, मजदूरी, यात्रा व्यय, सामग्री तथा मशीनरी और उपस्कर सहायता अनुदान आदि, जो उस कार्यक्रम पर किए गए व्यय के स्वरूप और श्रेणियों को विनिर्दिष्ट करता है। इन ब्यौरेवार मांगों के अन्त में खातों में व्यय को घटाकर वसूलियों का ब्यौरा दिखाया जाता है।

3.(ण) परिणाम बजट

- (i) वित्त वर्ष 2007-2008 से, निष्पादन बजट और परिणाम बजट जिन्हें अब तक मंत्रालयों/विभागों द्वारा संसद को अलग-अलग प्रस्तुत किया जाता था, को मिला दिया गया है और प्रत्येक मंत्रालय/विभाग द्वारा इन्हें उनके द्वारा नियंत्रित मांगों/विनियोगों के संबंध में, सिवाय उनके, जिन्हें इस अपेक्षा से छूट दी गई है, 'परिणाम बजट' नामक एकल दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। परिणाम बजट में मुख्य रूप से मंत्रालय/विभाग के वित्तीय बजट के वास्तविक आयामों को दर्शाया जाता है, जिसमें विगत वर्ष (2008-2009) के वास्तविक निष्पादन, मौजूदा वर्ष (2009-2010) के पहले नौ महीनों (दिसम्बर तक) में निष्पादन और अगले वर्ष (2010-11) के दौरान लक्षित निष्पादन को दर्शाया जाता है।
- (ii) परिणाम बजट में मंत्रालय/विभाग के संगठन और कार्य के संबंध में एक संक्षिप्त परिचायक टिप्पणी, मंत्रालय/विभाग द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे मुख्य कार्यक्रमों/योजनाओं की सूची, इसका अधिदेश, लक्ष्य और नीतिगत ढांचा, बजट अनुमान, वास्तविक निष्पादन का योजना-वार विश्लेषण और वित्तीय परिव्ययों और परिणाम के बीच संबंध, हाल ही के वर्षों में बजट अनुमानों की तुलना में व्यय की समग्र प्रवृत्तियों की समीक्षा, मंत्रालय/विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन सांविधिक और स्वायत्तशासी निकायों के निष्पादन की समीक्षा सुधार के उपाय, लक्ष्य और उपलब्धियां तथा भावी सुधार की योजना शामिल हैं।
- (iii) जहां तक व्यवहार्य है, विभिन्न विकासात्मक योजनाओं के तहत महिला और अनु.जाति/अनु. जनजाति लाभार्थियों की संख्या और पूर्वोत्तर क्षेत्र के हित की योजनाओं को भी अलग-अलग दर्शाया जाता है।

3.(त) वार्षिक रिपोर्ट

वर्ष 2009-2010 के दौरान प्रत्येक मंत्रालय/विभाग के कार्यकलापों का विस्तृत लेखा-जोखा वार्षिक रिपोर्ट दस्तावेज में दिया जाता है। यह प्रत्येक मंत्रालय/विभाग द्वारा अलग से तैयार किया जाता है और संसद सदस्यों को अनुदान-मांगों पर विचार-विमर्श के समय परिचालित किया जाता है।

3.(थ) आर्थिक समीक्षा

आर्थिक समीक्षा में देश की आर्थिक प्रवृत्तियों को प्रदर्शित किया जाता है, जिससे बजट में संसाधन जुटाने और उनके आवंटन का बेहतर मूल्यांकन करने में सुविधा होती है। आर्थिक समीक्षा कृषि और औद्योगिक उत्पादन, आधार-भूत ढांचा, रोजगार, मुद्रा आपूर्ति, कीमतों, आयातों, निर्यातों, विदेशी मुद्रा भंडारों और ऐसे अन्य संगत आर्थिक कारकों से संबंधित प्रवृत्तियों का विश्लेषण करता है, जिनका बजट पर प्रभाव पड़ता है, और इसे, आगामी वर्ष का बजट प्रस्तुत करने से पहले, संसद में प्रस्तुत किया जाता है।

केन्द्रीय सरकार का बजट मात्र प्राप्तियों और व्यय का विवरण नहीं है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात्, पंचवर्षीय योजना शुरू किए जाने से, यह सरकारी नीति का एक महत्वपूर्ण प्रलेख भी बन गया है। बजट देश के आर्थिक-जीवन को प्रतिबिम्बित करता है और उसे स्वरूप प्रदान करता है और साथ ही देश के आर्थिक जीवन के अनुरूप उसका निर्धारण किया जाता है। सरकारी प्राप्तियों में बढ़ोतरी और व्यय का अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों पर प्रभाव के बेहतर मूल्यांकन के लिए यह जरूरी है कि उन्हें आर्थिक महत्व के सन्दर्भ में समूहबद्ध किया जाए, उदाहरणार्थ पूंजी-निर्माण के लिए अलग से कितनी धनराशि रखी गयी है, सरकार द्वारा प्रत्यक्ष रूप से कितना खर्च किया गया है, सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था में अन्य क्षेत्रों को अनुदानों, ऋणों आदि के रूप में कितना अंतरित किया गया है। यह विश्लेषण केन्द्रीय सरकार के बजट के आर्थिक और कार्यचालन वर्गीकरण प्रलेख में किया गया है, जो वित्त मंत्रालय द्वारा अलग से तैयार किया जाता है।

अनुक्रमणिका

विषय	पैराग्राफ संख्या
लेखाओं का वर्गीकरण	3(क)(vi)
वार्षिक वित्तीय विवरण	3(क), 3(क)(iv), (vi), 3(ख)(i), 3(घ), 3(झ)(ii), (v), (vi), 3(ट)
वार्षिक रिपोर्ट	2, 3(झ)(iv), 3(त)
विनियोग	3(ख)(ii), 3(ण)
विनियोग विधेयक	3(ग)
विनियोग (लेखानुदान) विधेयक	3(ग)
बजट एक नजर में	3(ठ)
बजट/केन्द्रीय सरकार का बजट	3(थ)
पूँजी बजट	3(क), 3(क)(v)
भारित व्यय	3(ख)(i)
संचित निधि	3(क), 3(क)(i)(ii)(iii)(vi), 3(ख)(i)(ii), 3(ग)
आकस्मिकता निधि	3(क), 3(क)(ii)
रक्षा सेवाओं के अनुमान	3(झ)(vi)
अनुदानों की मांगें	3(क)(vi), 3(ख)(i), 3(ग), 3(झ)(ii), (iii), (v), 3(ज), 3(ढ), 3(त)
ब्योरेवार अनुदान-मांगें	2, 3(झ)(vi), (vii), 3(ढ)
आर्थिक समीक्षा	2, 3(थ)
व्यय बजट	3(झ), (ii)(iii)(iv)(vii), 3(ज), 3(ठ)(ii)
विदेशी सहायता	3(ट)
अतिरिक्त बजट बाह्य संसाधन	3(झ)(iv)
वित्त विधेयक	3(क)(iv), 3(घ), 3(ङ)
राजकोषीय घाटा	3(ज), 3(ठ)(i)
राजकोषीय नीति के प्रणालीगत विवरण	3(छ)
सहायता-अनुदान	3(झ)(vii)
केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गई गारंटियां	3(ट)
अन्तर्राष्ट्रीय निकाय-बाजार ऋणों को अंशदान	3(झ)(ii)
बृहत-आर्थिक रूपरेखा विवरण	3(च)
मध्यावधि राजकोषीय नीतिगत विवरण	3(ज)
वित्त विधेयक में की गई व्यवस्था का व्याख्यात्मक ज्ञापन	3(घ), 3(ङ)
नई सेवा	3(ख)(i)
परिणाम बजट	2, 3(झ)(iii), 3(ण)(i)(ii)
आयोजना परिव्यय	3(झ)(iii), 3(ठ)(i)
लोक लेखा	3(क), 3(क)(iii), (v)
सरकारी उद्यम समीक्षा	3(झ)(iv)
सरकारी क्षेत्र के उद्यम	3(झ)(iv)
रेलवे	3(झ)(v)
प्राप्ति बजट	3(झ)(v), 3(ट)
राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरित संसाधन	3(ठ)(i)(ii)
राजस्व बजट	3(क)(iv)
राजस्व घाटा	3(ज), 3(ठ)(i)
सरकारी विभागों की स्थापना की संख्या	3(झ)(ii)
अनुदान - मांगों का सारांश	3(ख)(i)
राजकोषीय हुंडिया	3(क)(v)
लेखानुदान	3(ग)